आरएमजीबी
RMGB

e-Circular Letter
HRMS & PPG CELL
Circular Letter No. : 125/PPG/25/2020-21
Date: 21.11.2020

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 का क्रियान्वयन – पेंशनधारक एवं कुटुम्ब पेंशनधारक का जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि में विस्तार करने के क्रम में

बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या : 169 /पीपीजी/ 39/2020–21 दिनांक 30.10.2020 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा सभी पेंशनधारकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों) से जीवन प्रमाण पत्र एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारकों से जीवन प्रमाण पत्र व **Certificate of Non-Marriage / Re-Marriage** दिनांक 15.11.2020 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुये पेंशनधारकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों) से जीवन प्रमाण पत्र एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारकों से जीवन प्रमाण पत्र व **Certificate of Non-Marriage / Re-Marriage** प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार करने का निर्णय लिया गया हैं , अब पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिकों) जीवन प्रमाण पत्र एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारक जीवन प्रमाण पत्र व **Certificate of Non-Marriage / Re-Marriage** दिनांक 31.12.2020 तक प्रस्तुत कर सकेगें । **उक्त समय सीमा में विस्तार कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुये केवल इस वर्ष लागू रहेगा ।**

समस्त शाखा प्रबन्धकों /प्रभारी ए.एम.एच./क्षेत्रीय प्रबन्धकों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता हैं कि कृपया इस पत्र की विषय वस्तु शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिको के संज्ञान में लाया जाना सुनिश्चित करें । पत्र की एक प्रति शाखा/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगावें ।

इस पत्र की प्रति बैंक की वेबसाइट www.rmgb.in पर अपलोड की जा रही हैं । तद्नुसार पेंशनधारको/ कुटुम्ब पेंशनधारकों को अवगत करावें ।

(अनिल सोगानी)
महाप्रबन्धक